जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू

(पशुपालकों के लिए आम सूचना)

प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान (गव्य विकास), रांची के पत्रांक–332 , दिनांक–02.07.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पलामू जिला के लिए राज्य के अंदर निःशुल्क दुधारू पशु प्रबंधन एवं पशु पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण निम्नवत किया गया है। इच्छुक पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप विहित प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण देते हुए अपने पंचायत प्रतिनिधि की अनुशंसा करवाकर आवेदन जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू में जमा कर सकते हैं।

क्र0 सं0	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षणार्थियों कि संख्या						कुल योग
		OSP (सामान्य)			SCSP (सिर्फ अ0 जा0)			
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	योग	
1	31.07.2018 से 07.08.2018 तक	10	10	20	05	12	17	37
2	21.08.2018 से 28.08.2018 तक	10	10	20	05	12	17	37
3	30.10.2018 से 06.11.2018 तक	20	10	30	05	11	16	46
4	27.11.2018 से 04.12.2018 तक	15	10	25	05	10	15	40
5	18.12.2018 से 25.12.2018 तक	05	05	10	05	10	15	25
6	25.12.2018 से 01.01.2019 तक	05	05	10	05	10	15	25
7	15.01.2019 से 22.01.2019 तक	15	10	25	05	10	15	40
		80	60	140	35	75	110	250

पशुपालकों का चयन हेतु अहर्ता :–

1 आवेदक संबंधित जिले के स्थायी निवासी एवं साक्षर पशुपालक हों जिनकी न्युन्तम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 55 वर्ष हो।

2 दुधारू मवेशी पालन करते है या करने के इच्छुक हैं एवं पूर्व के विगत तीन वर्षों में संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हों।

3 झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र/बाएफ कार्यक्रम के लाभुक/फोकस एरिया के पशुपालक/स्वयं सहायता समूह के सदस्य/सांसद आदर्श ग्राम/सरकार के द्वारा विशिष्ट योजनाओं के लिए चयनित ग्राम के पशुपालकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में भेजा जाएगा।

4 सिंगल विण्डो सेन्टर, के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।

5 प्रशिक्षणर्थियों को प्रखण्ड से प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, धुर्वा, रांची तक आने–जाने का मार्ग व्यय स्वयं वहन करना होगा जिसका भुगतान प्रशिक्षण उपरांत उनके खाता के माध्यम से किया जाएगा।

05/07/2018

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,

पलामू।